

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: अ०सां०नि०/स्था०-12-09/2018 .....28..... पटना, दिनांक...19-03-19

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह भा०प्र०से०  
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।  
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी- बेगूसराय, नवादा एवं सिवान ।

विषय:-

केन्द्रीय योजनागत योजना "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना" शीर्ष के अन्तर्गत पंचम लघु सिंचाई गणना, संदर्भ वर्ष 2013-14 के कार्यों से संबंधित बकाये राशि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृतादेश संख्या-286 दिनांक 15.03.2019 के आलोक में ₹7,99,387/- (सात लाख नानावे हजार तीन सौ सतासी) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय, लघु सिंचाई (सांख्यिकी) प्रभाग के पत्र संख्या-V-57/5/2014.MI(Stat) दिनांक-25.02.2015 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना, पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 हेतु ₹ 5,02,50,915/- (पाँच करोड़ दो लाख पचास हजार नौ सौ पन्द्रह रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के अन्तर्गत उक्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक-V-57/5/2014.MI(Stat)/1364 दिनांक-30.07.2018 द्वारा ₹90,92,403/- (नब्बे लाख बेरानवे हजार चार सौ तीन रुपये) वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. उक्त पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध/विमुक्त की गई राशि ₹90,92,403/- (नब्बे लाख बेरानवे हजार चार सौ तीन रुपये) संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए आवंटित की जाती है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष- 0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050405 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 4 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-बेगूसराय, नवादा एवं सिवान होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करेंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन CTMIS की सत्यापित प्रति के साथ प्रत्येक माह की 08वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।










8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.98, बिहार वित्त नियमावली एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।


9. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-286 दिनांक 15.03.2019 के आलोक में नियमानुसार पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 के कार्यों से संबंधित बकायें राशि के भुगतान हेतु प्रकाशन एवं मुद्रण, प्रशिक्षण एवं संविदा सेवायें मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा।

  
बजट सहायक

  
प्रशाखा पदा०


  
उप निदेश० (लेखा)

  
सं०निदेश०(प्र०)

विश्वासभाजन  
  
निदेशक 19/03


ज्ञापांक ..... 28 ...../पटना, दिनांक ..... 19-03-19 .....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक 19/03


ज्ञापांक ..... 28 ...../पटना, दिनांक ..... 19-03-19 .....

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना  
2. जिला कोषागार पदाधिकारी बेगूसराय, नवादा एवं सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक 19/03

ज्ञापांक ..... 28 ...../पटना, दिनांक ..... 19-03-19 .....

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)  
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/सहायक निदेशक  
(लघु सिंचाई गणना) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना  
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु प्रेषित।  
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को आवंटन आदेश सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करने/कराने हेतु प्रेषित।

  
निदेशक 19/03






आवंटन विवरणी


केन्द्र प्रायोजित योजना मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उपमुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उपशीर्ष-0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजनान्तर्गत (राज्य में पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 के कार्यों से संबंधित बकाये राशि के भुगतान हेतु) वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु आवंटन विवरणी।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 संविदा सेवायें	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	291987	0	0	291987
जिला सांख्यिकी कार्यालय					
2	बेगूसराय	0	0	297100	297100
3	नवादा	0	0	207800	207800
4	सिवान	0	100	2400	2500
	कुल	291987	100	507300	799387

(सात लाख निनानवे हजार तीन सौ सतासी) रुपये मात्र।

  
बजट सहायक

 3-3-19  
प्र० पदा०  
 19/3/19  
उप निदेशक(सं०)  
 19/3  
सं०निदेशक(प्र०)

  
निदेशक  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय